तमिलनाडु: वर्षा-जल संचयन ढाँचों की मरम्मत का आदेश

प्रकाशन तिथि: 22 अक्टूबर 2026



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

स्रोत-रिपोर्ट: 21 अक्टूबर 2026 (द हिंदू)। सरकारी आदेश (G.O.) की तारीख: 16 अक्टूबर 2026।

खबरों में क्यों

तमिलनाडु सरकार के 16 अक्टूबर 2026 के सरकारी आदेश के अनुसार राज्य में नागरिकों, अपार्टमेंट परिसरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों को अपने वर्षा-जल संचयन ढाँचों की जाँच, सफाई और मरम्मत करनी होगी (द हिंदू)। यह 'वर्षा-जल संचयन को जन-आंदोलन बनाना: नई पहल' अभियान के तहत है और पूर्वोत्तर मानसून की वर्षा शुरू होने के बीच तत्काल लागू है।

प्रमुख तथ्य (द हिंदू के अनुसार)

- छत पर लगे संचयन तंत्र, फ़िल्टर चैंबर, रिचार्ज गड्ढे और कुएँ पूरी तरह चालू रखने होंगे, ताकि भूजल पुनर्भरण और जल-सुरक्षा बनी रहे।
- निगरानी राज्य-स्तर पर मुख्य सचिव और जिला-स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली समन्वय समितियाँ करेंगी।
- शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय मौजूदा, पुनर्जीवित और नए बने ढाँचों का बुनियादी रिकॉर्ड रखेंगे।
- तमिलनाडु ने वर्षा-जल संचयन के दिशानिर्देश 2002 में बनाए थे। नया आदेश तेज़ शहरीकरण, बदलते वर्षा-पैटर्न और जलवायु-अनिश्चितता से निपटने के लिए जन-भागीदारी पर टिका है।
- **पृष्ठभूमि:** पूर्वोत्तर मानसून (अक्टूबर से दिसंबर) तमिलनाडु तट की मुख्य वर्षा-ऋतु है।

संदर्भ और विस्तृत व्याख्या

इस आदेश की तार्किकता पूर्वोत्तर मानसून की समय-सीमा से जुड़ी है: अक्टूबर से दिसंबर तमिलनाडु तट की मुख्य वर्षा-ऋतु है, और संचयन-ढाँचे तभी काम करते हैं जब वर्षा से पहले वे साफ और चालू हों। 16 अक्टूबर 2026 के सरकारी आदेश (G.O.) के तहत नागरिकों, अपार्टमेंट परिसरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों को अपने वर्षा-जल संचयन ढाँचों की जाँच, सफाई और मरम्मत करनी होगी — यह 'वर्षा-जल संचयन को जन-आंदोलन बनाना' अभियान का हिस्सा है।

PCSMANTRA.COM

ढाँचों की सूची तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है: छत पर लगे संचयन तंत्र (rooftop harvesting), फ़िल्टर चैंबर, रिचार्ज गड्ढे और कुएँ — पहला वर्षा-जल संग्रह करता है, बाकी भूजल-पुनर्भरण (groundwater recharge) कराते हैं। क्रियान्वयन-तंत्र स्तरीय है: राज्य-स्तर पर मुख्य सचिव और जिला-स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में समन्वय समितियाँ; शहरी-ग्रामीण स्थानीय निकाय मौजूदा, पुनर्जीवित और नए ढाँचों का रिकॉर्ड रखेंगे।

पृष्ठभूमि-तथ्य: तमिलनाडु ने वर्षा-जल संचयन के दिशानिर्देश 2002 में बनाए थे — यह वर्ष प्रिलिम्स में सीधे पूछा जा सकता है। नई पहल तेज़ शहरीकरण, बदलते वर्षा-पैटर्न और जलवायु-अनिश्चितता से निपटने के लिए जन-भागीदारी पर टिकी है — GS-III जल-प्रबंधन में 'आदेश बनाम आंदोलन' की यही दृष्टि उद्धरण योग्य है।

परीक्षा-उपयोगिता

जल-प्रबंधन, राज्य-नीति, मानसून-विविधता।

प्रारंभिक परीक्षा शैली: अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. तमिलनाडु के इस आदेश के अनुसार ढाँचों की मरम्मत किस मानसून की वर्षा के संदर्भ में है?

(a) दक्षिण-पश्चिम मानसून

(b) पूर्वोत्तर मानसून

(c) पश्चिमी विक्षोभ

(d) मानसून-पूर्व वर्षा

▶ उत्तर और व्याख्या

प्रश्न 2. राज्य-स्तर की समन्वय समिति की अध्यक्षता कौन करेगा?

(a) मुख्य सचिव

(b) मुख्यमंत्री

(c) राज्यपाल

(d) जिलाधिकारी

▶ उत्तर और व्याख्या

प्रश्न 3. तमिलनाडु ने वर्षा-जल संचयन के दिशानिर्देश किस वर्ष बनाए थे?

(a) 1992

(b) 2002

(c) 2012

(d) 2022

PCSMANTRA.COM

▶ उत्तर और व्याख्या

स्रोत

- द हिंदू (21 अक्टूबर 2026): https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/northeast-monsoon-preparedness-tamil-nadu-government-mandates-repair-of-rainwater-harvesting-structures/article71607171.ece

PCSMANTRA.COM